पत्रांकः सं०को0–01–03 / 2019–..........

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

प्रेषक

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग,
पटना– 800001.

सेवा में

प्राचार्य / प्राचार्या,
तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन,
कृष्णनन्दन सहाय नगर,
झपहाँ, मुजफ्फरपुर–842314.

पटना, दिनांक ..../2020

विषयः– डी0पी0एड0 (डिप्लोमा इन फिजीकल एजुकेशन) कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक–शिक्षा परिषद् भुवनेश्वर, उड़ीसा के पत्रांक ERC/266.6.22/APP2362/D.P.ED/2019/59274, दिनांक– 08.02.2019 द्वारा 50 सीटों (01 यूनिट) की सत्र 2019–20 से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमावली, 2019 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच दल द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं N.C.T.E द्वारा प्रदान की गई मान्यता के आलोक में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (शारीरिक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, सम्बद्धता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमावली, 2019 में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2020–22 से 01 यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों का दो वर्षीय डी०पी०एड० कोर्स (D.P.Ed.) संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त्तें–

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन– 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन– 2014 के परिशिष्ट–6 अनुच्छेद– 2.2 में निहित प्रावधानों, यथा प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ दिनों का कार्य दिवस एवं प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 36 घण्टे का समय एवं नियमानुसार कक्षा संचालन आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतीत की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. यदि महाविद्यालय, नामांकन एवं कोर्स प्रारम्भ करने हेतु विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा मान्य नहीं होगा।
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय–समय पर पदाधिकारियों / विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
5. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय–व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन, समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
6. संस्थान विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय / वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।
7. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं इन पदों पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. संस्थान के विरूद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
9. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरांत, संस्थान द्वारा एक प्रमाण–पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा, कि, नामांकित बच्चों का प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन, निर्गत करने वाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
10. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
11. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
12. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्त्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
13. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य है, रखने होंगे।
14. संस्थान, निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय–समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्त्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
15. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. उक्त कोर्स के संचालन हेतु अपने संस्थान में पूर्व से गठित प्रबंधन समिति (Management Committee) के सदस्यों की हस्ताक्षरित सूची अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए।

कृपया उक्त शर्तो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,
29/1/20
(नील कमल)
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक: सं0को0–01–03/2019–42 पटना, दिनांक 29/01/2020

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय निदेशक, ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उडीसा– 751012/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/2020
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक: सं0को0–01–03/2019–42 पटना, दिनांक 29/01/2020

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/2020
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

Scanned with OKEN Scanner